

विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल-निःशक्तजन (.....)

आवेदन पत्र

प्रति,

प्रमुख सचिव विधि,
म.प्र. शासन,
विधि और विधायी कार्य विभाग,
विन्ध्याचल भवन, भोपाल, म.प्र.।

वर्तमान
पासपोर्ट साईंज
का फोटो, स्वयं
द्वारा
अभिप्राणित

1. आवेदित पदनाम
2. आवेदक का पूर्ण नाम (हिन्दी में)
3. आवेदक का पूर्ण नाम (अंग्रेजी में)
4. आवेदक के पिता / पति नाम
5. वर्तमान पता

6. स्थाई पता

7. जन्मतिथि अंको में
शब्दों में
8. आयु
9. धर्म
10. जाति (यदि अनुसूचित जाति / जनजाति या
अन्य पिछड़ा वर्ग के हो तो स्पष्ट रूप से दर्शायें)
.....
11. शैक्षणिक अर्हताओं का विवरण

स. क्र.	कक्षा	बोर्ड / संस्था का नाम	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	10वी					
2	12वी					
3	स्नातक					
4	स्नातकोत्तर					
5	अन्य					
6						

12. कम्प्यूटर डिप्लोमा / डिग्री
(पी.जी.डी.सी.ए. / डी.सी.ए.)

// 2 //

13. शीघ्रलेखक (हिन्दी/अंग्रेजी)
14. सी.पी.सी.टी. (कम्प्यूटर+हिन्दी+अंग्रेजी)
15. क्या आप मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं (हाँ/नहीं)
16. पहचान चिन्ह
17. दिव्यांगता का प्रकार एवं दिव्यांगता का प्रतिशत
18. अनुभव
19. पहचान पत्र (आधार कार्ड/बोटर आई.डी.)
20. वैवाहिक स्थिति (हाँ/नहीं)
21. विवाहित की स्थिति में बच्चों की संख्या एवं जन्म तिथि
22. क्या आपके खिलाफ आपराधिक मामला चला है। यदि हाँ तो उसका पूर्ण विवरण
23. पूर्व नियोजन की जानकारी। यदि हटाये गए हैं तो उसका पूर्ण विवरण
24. ई—मेल आई.डी.
25. फोन नम्बर
26. मोबाइल नंबर

नोट :— मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की समान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अंतर्गत कोई भी अनर्हता नहीं होनी चाहिए।

घोषणा—पत्र

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है, वह पूर्णतः सत्य है। जानकारी असत्य पाए जाने की दशा में मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। मैं यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे अंतिम जीवित बच्चे का जन्म (यदि दो से अधिक बच्चे जीवित हो तो) दिनांक 26.01.2001 के पश्चात् नहीं हुआ है।

स्थान.....

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर :

आवेदक का पूरा नाम :

टीप:— आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वतः द्वारा अभिप्रायाणि संलग्न की जावें:—

- शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताओं की अंकसूची/प्रमाण—पत्र
- जन्म तिथि का प्रमाण—पत्र
- मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी/मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र
- यदि आवेदक अनूसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो तदविषयक प्रमाण—पत्र